**अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध**

**प्रेषक,**

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**सेवा में,**

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध संस्थाऐ

**पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2025 /** 3921 **लखनऊः दिनांकः** 13/10/2025

**विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 को छोड़कर) अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोले जाने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0: 1429 / पि0व0क0 / 2025–26, दिनांकः 08 अक्टूबर, 2025 के साथ संलग्न मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0: 160 / 2025 / 2690 / 26–3–2025–1961934, दिनांकः 06 अक्टूबर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष **2024–25** में दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 को छोड़कर) अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् योजनार्न्तगत दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित सभी वर्गो के छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु समय–सारिणी निर्गत की गयी है।

अतः निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0: 1429 / पि0व0क0 / 2025–26, दिनांकः 08 अक्टूबर, 2025 के साथ संलग्न मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0: 160 / 2025 / 2690 / 26–3–2025–1961934, दिनांकः 06 अक्टूबर, 2025 की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त निर्गत समय–सारिणी के अनुसार दिनांकः **14.10.2025** तक प्रत्येक दशा में संस्था द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना सुनिश्चित करें तथा दिनांकः **16.10.2025** तक परिषद कार्यालय में उपस्थित होकर समस्त प्रक्रिया पूर्ण करा लें।

उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाए। यदि कोई भी पात्र छात्र / छात्रा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति में वंचित रह जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य / निदेशक / प्रबंधन का होगा।

**संलग्नकः उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

**पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2025 /** 3922-26 **तद्दिनांकः** 13/10/2025

**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, 10 वां तल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रार्न्तगत स्थित समस्त संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

अतिआवश्यक/समयबद्ध

निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश,
10वां तल,इंदिरा भवन,अशोक मार्ग,लखनऊ।

पत्रांकः1529 /पि0व0क0/2025-26 लखनऊः दिनांक 08 अक्टूबर,2025

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उ0प्र0।

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा-11-12 को छोड़कर) अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोला जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन के शासनादेश सं0-160/2025/2690/26-3-2025-1961934, दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा-11-12 को छोड़कर) अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् योजनान्तर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रपूर्ति के भुगतान हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करें।

अतः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन के शासनादेश सं0-160 / 2025 / 2690/ 26-3-2025-1961934, दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त निर्गत समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही करें। उक्त समय-सारणी को जनपद के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निरन्तर नियमित अन्तराल पर निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करायें तथा उक्त समय-सारणी संबंधित शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी को अवश्य प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
VANDANA KUNDANLAL VERMA
Date: 08-10-2025 12:51:10
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक

पृष्ठांकन सं0-1529पि0व0क0/2025-26/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश, शासन।
2-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
3-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0।
4-उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) तृतीय तल, योजना भवन, लखनऊ को उपरोक्त समय-सारिणी दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 की छायाप्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5-समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
6-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश उपरोक्त समय-सारिणी की छायाप्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
LALIT KISHOR MISHRA
Date: 08-10-2025
13:14:58
(ललित किशोर मिश्र)
उपनिदेशक

संख्या-160/2025/2690/26-3-2025-1961934

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2025

**विषय- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोला जाना ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2526/स0क0/शिक्षा-अ/9/2025-26 दिनांक 29 मई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

| क्र0 | प्रक्रियात्मक कार्यवाही | समयावधि |
|---|---|---|
| | **मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही** | |
| 1 | **संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना (कक्षा 11-12 को छोड़कर)** मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार ऐफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। | 10 अक्टूबर, 2025 से 14 अक्टूबर, 2025 तक |
| 2 | **विश्वविद्यालय/ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ ऐफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। | 18 अक्टूबर, 2025 तक |
| 3 | **जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। | 26 अक्टूबर, 2025 तक |

(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

| | | |
|---|---|---|
| | **छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया** | |
| 4 | **छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन** | 27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक |
| 5 | **छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना** छात्रों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का फाइनल सब्मिशन किया जाना। | 01 नवम्बर, 2025 तक |
| 6 | **हार्ड कापी को छात्रों द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना** ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्रों द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। | 01 नवम्बर, 2025 तक |
| 7 | **शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्रों के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। | 02 नवम्बर, 2025 तक |
| 8 | **विश्वविद्यालय/ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना; अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना। | 03 नवम्बर, 2025 से 06 नवम्बर, 2025 तक |
| 9 | **एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र के लॉगिन पर उपलब्ध कराना। | 03 नवम्बर, 2025 से 07 नवम्बर, 2025 तक |
| 10 | **त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** छात्रों द्वारा किए गए ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्रों द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना। | 08 नवम्बर, 2025 से 11 नवम्बर, 2025 तक |
| 11 | **छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों के आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। | 12 नवम्बर, 2025 तक |
| 12 | **एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्रों द्वारा सही किए गए सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना। | 13 नवम्बर, 2025 से 18 नवम्बर, 2025 तक |
| 13 | **जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा | 08 नवम्बर, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक |

| | | |
|---|---|---|
| | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना। | |
| 14 | **मांग सृजन**<br>जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना। | 27 नवम्बर, 2025 |
| 15 | **धनराशि का अन्तरण**<br>जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/NPCI से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही। | 28 नवम्बर, 2025 |

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को पोर्टल खोलते हुए समयान्तर्गत छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0पी0 गोयल)<br>
मुख्य सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(राजेन्द्र सिंह)**<br>
विशेष सचिव।